हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान

प्रयागराज (इलाहाबाद)

(परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक सहायता प्राप्त संस्थान)

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन

एवं

बाईलाज

(नियम एवं उपनियम)

{शासी परिषद (गर्वेर्निंग काउंसिल) की बैठक दिनांक 20 नवंबर 2018 में अंगीकृत बाइलाज}

यह दस्तावेज़ संस्थान के बाईलाज के अँग्रेजी संस्करण जिसे शासी परिषद द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है, का हिन्दी अनुवाद है जिसमे पूर्ण सावधानी बरती गई है। यदि इसमे तथा अँग्रेजी संस्करण में कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अँग्रेजी संस्करण के प्रावधान ही मान्य होंगे।

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान

Harish-Chandra Research Institute

छतनाग मार्ग, झूंसी, प्रयागराज (इलाहाबाद) – 211019

Chhatnag Road, Jhunsi, Prayagraj (Allahabad) – 211019

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान

प्रयागराज (इलाहाबाद)

(परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक सहायता प्राप्त संस्थान)

संशोधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन

सोसाइटी का नाम

1. सोसाइटी का नाम "**हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान**" होगा, जिसे बाद में "**संस्थान**" कहा जाएगा।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

2. संस्थान के अभिप्राय तथा उद्देश्य होंगे;-

(i) सैद्धांतिक भौतिकी और गणित पर विशेष जोर देने के साथ प्राकृतिक विज्ञान और गणितीय विज्ञान में समस्याओं पर जांच और अनुसंधान का संचालन करना;

(ii) उपरोक्तानुसार प्राकृतिक विज्ञान और गणितीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए छात्रों और उन्नत शोध छात्रों को प्रशिक्षित करना;

(iii) प्राकृतिक और गणितीय विज्ञान में विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ, सहयोग, सम्मेलनों, पारस्परिक यात्राओं और अन्य माध्यमों से स्थापित करना;

(iv) ज्ञान का प्रसार करना जो पेशेवर और सामाजिक लाभ का हो सकता है;

(v) संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, अनुसंधान इकाइयों, चिकित्सा इकाइयों और क्लीनिकों, पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन करना और;

(vi) संस्थान लक्ष्य एवं उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्य सभी आवश्यक कदम उठाना।

पंजीकृत कार्यालय

3. संस्थान का पंजीकृत कार्यालय छतनाग, झूंसी, प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211019 में होगा।

संस्थान की शासी परिषद (गवार्निंग काउंसिल) के सदस्यों के नाम, पता एवं व्यवसाय जिनको इसके प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।

1.	अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार - **(अध्यक्ष)**	परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, छ॰ शि॰ म॰ मार्ग, मुंबई - 400 001	सर्विस
2.	संयुक्त सचिव (आर एंड डी)/ संयुक्त सचिव (प्रभारी), भारत सरकार (**सदस्य**)	संयुक्त सचिव (आर एंड डी), परमाणु ऊर्जा विभाग, छ॰ शि॰ म॰ मार्ग, मुंबई – 400 001	सर्विस
3.	संयुक्त सचिव (वित्त), भारत सरकार (**सदस्य**)	संयुक्त सचिव (वित्त), परमाणु ऊर्जा विभाग, छ॰ शि॰ म॰ मार्ग, मुंबई – 400 001	सर्विस
4.	निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश (**सदस्य**)	निदेशक कार्यालय, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज - **211001**	सर्विस
5	श्री एस॰ एल॰ मेहता (**सदस्य**)	4 क्लाइव रो, कोलकाता - 700 001	व्यापार
6	श्री अवनीश मेहता (**सदस्य**)	**4** पेन्न रोड, कोलकाता - 700 027	व्यापार
7	श्री रजनीश मेहता (**सदस्य**)	**4** पेन्न रोड, कोलकाता - 700 027	व्यापार
8	प्रो॰ वी॰ श्रीनिवास (**सदस्य**)	वरिष्ठ प्राध्यापक, टीआईएफ़आर एवं अध्यक्ष एनबीएचएम, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, होमी भाभा रोड, कोलाबा, मुंबई - 400 005	शिक्षाविद
9	प्रो॰ संघमित्रा बंधोपाध्या (**सदस्य**)	निदेशक भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, बी॰टी॰ रोड, कोलकाता - 700 108	शिक्षाविद
10	प्रो॰ वी॰ अरविंद (**सदस्य**)	निदेशक, गणितीय विज्ञान संस्थान सीआईटी कैम्पस, तारमणी चेन्नई - 600 113	शिक्षाविद
11	प्रो॰ मुस्तानसीर बरमा (**सदस्य**)	पूर्व निदेशक, टी॰आई॰एफ़॰आर॰, मुंबई एवं प्रोफेसर एमेरिटस, टीआईएफ़आर॰ सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइन्स, 36/पी गोपनपल्ली विलेज, सेरिलिंगमपल्ली मण्डल, जिला रंगारेड्डी, हैदराबाद-500046	शिक्षाविद
12	निदेशक, एच॰आर॰आई, , **(पदेन सदस्य)**	निदेशक, हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) - **211019**	सर्विस

उपरोक्त शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) का गठन परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 23/15(4)/2011/HRI/R&D-II/5971 दिनांक 13 मई 2019 द्वारा किया गया था जिसे संस्थान की शासी परिषद द्वारा दिनांक 03 सितंबर 2019 को अंगीकृत किया गया। प्रो॰ मुस्तानसीर बरमा (क्र॰ सं॰ **11)** को प्रो॰ एस॰ एम॰ चित्रे के आकस्मिक देहावसान के उपरांत उनके स्थान पर कार्यालय-ज्ञाप संख्या 23/15(4)/2011/HRI/R&D-II/**3139** दिनांक **05** मार्च 2021 द्वारा नामित किया गया है।

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान

प्रयागराज (इलाहाबाद)

(परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक सहायता प्राप्त संस्थान)

बाईलाज

अध्याय – I

सामान्य

1 लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ

1.1 इन बाईलाज तथा संविधि (स्टेचूस) को "**हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान**, प्रयागराज (इलाहाबाद)" (जिसे बाद में "**संस्थान**" कहा गया है) का बाईलाज कहा जाएगा। इसे शासी परिषद द्वारा अनुमोदन की तिथि दिनांक **20 नवंबर 2018** से लागू माना जाएगा।

1.2 इन बाईलाज को हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) के नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाएगा।

2 संस्थान का नाम और पता

अनुदानित संस्थान का नाम "**हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद)**" होगा जिसे बाद में "**संस्थान**" कहा जाएगा। संस्थान का पंजीकृत कार्यालय छतनाग रोड, झूंसी, प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211019 (उत्तर प्रदेश) में होगा।

3 परिभाषा और व्याख्या

इन बाईलाज में, निम्नलिखित शब्दों और संक्षिप्तीकरणों का अर्थ उनके सामने दिये गए अर्थानुसार जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे:

(अ) "अधिनियम" का अर्थ है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962

(ब) "प्रशासनिक विभाग" का अर्थ है भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है।

(स) अकादमिक चयन समिति 'का अर्थ संस्थान की अकादमिक चयन समिति है जिसे बाद में 'एएससी' भी संदर्भित किया गया है।

(द) "सलाहकार परिषद" का अर्थ है संस्थान की सलाहकार परिषद जैसा कि यदि प॰ऊ॰वि॰/ भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है।

(च) "प्राधिकारी, अधिकारी और शिक्षाविद / प्रोफेसर" का अर्थ क्रमशः संस्थान के प्राधिकारियों, अधिकारियों और शिक्षाविदों से है।

(छ) "वित्त समिति" या "स्थायी वित्त समिति" का तात्पर्य संस्थान की वित्त समिति है।

(ज) "भवन और निर्माण समिति" का तात्पर्य संस्थान की भवन और कार्य समिति

से है जिसे बाद में “बीडबल्यूसी” भी कहा गया है।

(झ) “बाईलाज” का तात्पर्य संस्थान के बाईलाज से है।

(ञ) “अध्यक्ष” का तात्पर्य संस्थान की शासी परिषद (गवार्निंग काउंसिल) तथा अकादमिक चयन समिति जिसे बाद में “एएससी” कहा गया है, के अध्यक्ष से है।

(ट) “केंद्र सरकार / सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार जिसका प्रतिनिधित्व परमाणु ऊर्जा विभाग करता है, से है।

(ठ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे इन नियमों या संस्थान में लागू होने वाले किसी भी अन्य नियमों या संस्थान में लागू किए गए सरकार / प-ऊ॰वि॰ के ऐसे आदेश जो उनके द्वारा अपने स्वायत्त निकायों / संस्थानों के लिए जारी किए गए है, के लिए अंकित प्राधिकारी से है।

(ड) “आयोग / कमीशन“ का तात्पर्य परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) से है।

(ढ) "सह-अध्यक्ष" का तात्पर्य संस्थान के शासी परिषद के सह-अध्यक्ष से है।

(ण) “विभाग” का तात्पर्य है परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से है जिसे बाद में "डीएई/प॰ऊ॰वि॰" कहा गया है।

(त) "निदेशक" का तात्पर्य संस्थान के निदेशक से है।

(थ) "उप निदेशक" का अर्थ संस्थान के निदेशक से है।

(द) "गवर्निंग काउंसिल" का तात्पर्य संस्थान की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) से है जिसे बाद में 'जीसी' ‘परिषद / काउंसिल' भी कहा गया है।

(ध) वित्त सलाहकार का अर्थ है आंतरिक वित्तीय सलाहकार या वित्तीय सलाहकार या वित्त अधिकारी या संयुक्त नियंत्रक, जैसा भी स्थिति हो।

(न) “जीसी” का तात्पर्य गवर्निंग काउंसिल / शासी परिषद से है।

(ऩ) "संस्थान" का तात्पर्य 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-XXI के अंतर्गत पंजीकृत हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) से है। सोसाइटी का नाम "हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद)" होगा।

(प) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य संस्थान के रजिस्ट्रार से है।

(फ) “राज्य सरकार” का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है।

(ब) ट्रस्टीज (न्यासी) / होल्डिंग ट्रस्टीज (न्यासी) का तात्पर्य है बलिदोरम सालिग्राम मेहता ट्रस्ट, कोलकाता से है।

4 लक्ष्य और उद्देश्य

संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य होंगे;-

(i) सैद्धांतिक भौतिकी और गणित पर विशेष जोर देने के साथ प्राकृतिक विज्ञान और गणितीय विज्ञान में समस्याओं पर जांच और अनुसंधान का संचालन करना;

(ii) प्राकृतिक विज्ञान और गणितीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए छात्रों एवं एडवांस

शोध छात्रों को प्रशिक्षित करना, जैसा कि ऊपर दिया गया है,

(iii प्राकृतिक और गणितीय विज्ञान में विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ, सहयोग, सम्मेलनों, पारस्परिक यात्राओं और अन्य माध्यमों से स्थापित करना;;

(iv) ज्ञान का प्रसार करना जो पेशेवर और सामाजिक लाभ का हो सकता है;

(v) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शैक्षिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, अनुसंधान इकाइयों, चिकित्सा इकाइयों और क्लीनिकों, पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं की स्थापना कर उसे बनाए रखते हुए प्रबंधन करना; और

(vi) संस्थान के लक्ष्य एवं उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्य सभी आवश्यक कदम उठाना।

शक्तियाँ:- उद्देश्यों के संबंध में ओर उसे आगे बढ़ाने के लिए अथवा उनमे से किसी के लिए, संस्थान के पास शक्ति होगी:

(i) बैठकें आयोजित करना, व्याख्यान, संगोष्ठी, चर्चा, सम्मेलन, अध्ययन के निर्देशों एवं पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना;

(ii) विभिन्न वर्गों में संस्थान की गतिविधियों के उचित और कुशल संचालन के लिए शाखाएँ, प्रभाग, विभाग, संकाय, अनुभाग और इकाइयाँ बनाना;

(iii) आवश्यक के रूप में प्रोफेसरों और अन्य पदों को सृजित करना ओर इन पदों पर नियुक्त करना तथा अधिकारियों, श्रमिकों, ठेकेदारों ओर अन्य पदों वेतन मानदेय, मजदूरी या मात्रानुपाती दर पर पूर्णकालीन, अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर पारिश्रमिक की व्यवस्था करना;

(iv) "प्राकृतिक विज्ञान और गणितीय विज्ञान" के पशेवर कार्मिकों के लिए विभिन्न श्रेणियों की लिए शोध अध्येतावृत्ति और सहायता प्रदान करके संस्थापित करना और व्यक्तियों की व्यवस्था अथवा नियुक्त करने के लिए;

(v) अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए देश की केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संस्थान की मान्यता के लिए उचित कदम उठाने के लिए और यदि आवश्यक हो, तो देश में कानून द्वारा स्थापित एक वैधानिक विश्वविद्यालय के साथ इसकी संबद्धता के लिए आवश्यक कदम उठाना (संस्थान वर्तमान में होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), एक मानित विश्वविद्यालय का, का एक घटक संस्थान है;

(vi) संस्थान के कानून, नियम ओर बाईलाज के अंतर्गत परीक्षा का आयोजन करना, डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) ओर अन्य प्रशस्तिपत्र आदि की व्यवस्था करना और संस्थान और / या इसकी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अध्येतावृत्ति के पंजीकरण अथवा केंद्र तथा देश की राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त के लिये आवश्यक कदम उठाना जैसा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में और विदेशों में है;

(vii) पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, पत्रिकाओं (पीरियोडिकल्स), रिपोर्टों, शोध और कार्यालयीय पत्रों और अन्य सामग्रियों को अपनी लागत पर या इस उद्देश्य के लिए प्राप्त

अनुदान और अन्य सहायता के साथ प्रकाशित करना और इस तरह के प्रकाशनों की लागत में योगदान करना और उनकी बिक्री करना, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक या कम दरों पर वितरित करना;

(viii) स्वयं अथवा उचित सब्सिडी के माध्यम से या अन्य एजेंसियों के माध्यम से हॉस्टल मेस, गेस्ट हाउस, आवासीय घरों और कॉलोनियों, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, रात्रि स्कूल, वयस्क शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य घर, क्लब, और सहकारी संगठनों का निर्माण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए,के लिए कदम उठाना ताकि संस्थान और / या उसके कार्मिकों और उनके परिवारों और छात्रों के कल्याण के लिए की जाने वाले क्रियाकलापों का कुशल रूप से निष्पादन हो सके;

(ix) संस्थान के नियम 5 के प्रावधानों के अधीन, संस्थान हेतु भूमि, इमारतों और अन्य, चल और अचल संपत्तियों की खरीद, अधिग्रहण, धारण या निपटान और रखरखाव करना तथा संस्थान और उसके कार्मिकों के लिए सड़कों, नालियों, जल-कार्यों, भवनों, संरचनाओं और अन्य कार्यों का निर्माण, परिवर्तन या ध्वस्त करना;

(x) संस्थान के नियम 5 के प्रावधानों के अधीन संस्थान के लिए बंदोबस्ती, उपहार और दान, शुल्क, ब्लॉक अनुदान, किराए, सुरक्षा जमा राशि (नकद या अन्य रूप में) और अन्य निधियों को स्वीकार करना तथा धन का निवेश करने के लिए, उधार लेने या अन्यथा धन जुटाने के लिए कदम उठाना;

(xi) एक या अधिक भविष्य निधि, सेवानिवृति निधि की स्थापना, रखरखाव या उन्हें जारी रखना या ऐसे प्राधिकरण, एजेंसियों, संघों या संस्थानों का प्रबंधन, जिन्हें संस्थान तथा संस्थान के कार्मिको के हित में उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है तथा संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की धनराशि का भुगतान करने के लिए समय-समय पर आवश्यक माना जा सकता है, या इनमे से कोई भी;

(xii) व्यय करना, दान और अनुदान देना या सदस्यता देना और संस्थान के कार्य करने के लिए अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था करना;

(xiii) विश्वविद्यालयों, सरकारों, संघों, सोसाइटीज, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करना, बाहरी (outlying) केंद्रों, शाखाओं और कार्यालयों की स्थापना करना; किसी भी अन्य संस्था जिनका उद्देश्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संस्थान के समान हो, के साथ संस्थान को पूर्ण रूप से जोड़ने (समामेलित/संविलीन) के लिए कार्यवाही करना तथा ऐसी संस्थाओं जिनका उद्देश्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संस्थान के समान हो, के साथ आयोजन, स्थापना, संबद्धता रख आगे बढ़ना तथा उसे बनाए रखना, उसे भंग करना, शाखाओं को छोड़ देना या जोड़ना; तथा

(xiv) संस्थान के उद्देश्यों, या उनमें से किसी की प्राप्ति के लिए इस तरह की अन्य कार्रवाई करना जो कि आकस्मिक या अनुकूल हो सकता है।

5 संस्थान की संपत्ति के निहितार्थ

(अ) सभी भवन, भूमि, मशीनरी उपकरण, योजनाएं और उपकरण (चाहे

प्रयोगशाला कार्यशाला या अन्य कोई भी हो), पुस्तकें और जर्नल (पत्रिकाओं), फर्नीचर, फर्नीशिंग एवं फिक्चर्स परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के हैं।

(ब) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) को बलिदोरम सालिगराम मेहता ट्रस्ट, कोलकाता, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा उपहार में दी गई अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयत की गई समस्त संपत्ति परिसम्पत्ति, नियम और उपनियम (बाईलाज) के अधीन संस्थान की शासी परिषद में निहित होगी।

(स) पूर्वोक्तानुसार बलिदोरम सालिगराम मेहता ट्रस्ट, कोलकाता द्वारा उपहार या दान में दी गई समस्त भूमि और उनके द्वारा निर्मित अथवा उनके द्वारा दान की गई धनराशि से निर्मित या उपहार में दिये गए समस्त भवन उस ट्रस्ट अर्थात बलिदोरम सालिगराम मेहता ट्रस्ट, कोलकाता को वापस होंगे तथा उनके होंगे यदि इस तरह की भूमि या भवन को पूर्वोक्त संस्थान के उद्देश्यों एवं प्रयोग के लिए उपयोग किया जाना बंद हो जाता है।

(द) यदि हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) बंद हो जाता है, अनुदानकर्ता या दानकर्ता की सहमति से बलिदोरम सालिगराम मेहता ट्रस्ट, कोलकाता को यह अधिकार होगा कि सभी अचल संपत्तियों को नियोजित कर सकें जिन्हें इस प्रकार स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जा सकता है जैसे कि वे सरकार द्वारा उपहार या दान या निर्मित कि गई हो या या कोई अन्य निकाय या व्यक्ति, जिसकी सहमति ऐसे धर्मार्थ या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) से ली गई है जिसके लिए अनुदानकर्ता या दानकर्ता और बलिदोरम सालिग्राम मेहता ट्रस्ट, कोलकाता सहमत हो सकते है। इस नियम कि शक्ति का प्रयोग केवल उपरोक्त कि सहमति के उपरांत हो सकता है।.

अध्याय –II

शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) का गठन, इसकी बैठक तथा प्रक्रिया

6 शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल)

नियमों और उपनियमों (बाई-लाज) के अधीन, संस्थान के मामलों का प्रशासन, प्रबंधन और दिशा, शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) में निहित होगी, जिसे बाद "द काउंसिल" भी कहा गया है। शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) का गठन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा।

6.1 शासी परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी;

(i) अध्यक्ष

(ii) संस्थान के निदेशक पदेन सदस्य होंगे।

(iii) संस्थान का कार्य देखने वाले विभाग के संयुक्त सचिव।

(iv) संयुक्त सचिव (वित्त), प॰ऊ॰वि॰।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि।

(vi) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित संस्थान के संबंधित क्षेत्र के चार ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ / शिक्षाविद।

(vii) बाल्दीराम सालिगराम मेहता ट्रस्ट, कोलकाता द्वारा नामित तीन सदस्य।

(viii) रजिस्ट्रार शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) के सचिव होंगे।

6.2 सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे।

6.3 शासी परिषद एक स्थायी निकाय होगी। हालांकि, परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा परंतु वे एक अन्य/अतिरिक्त कार्यकाल के नामांकन के लिए पात्र होंगे यानी एक सदस्य को अधिकतम दो कार्यकाल (ट्रस्टी और पदेन सदस्यों को छोड़कर) की अनुमति दी जा सकती है। सदस्यों का कार्यकाल उनके संबंधित संगठन में सेवा के साथ कोटर्मिनस होगा।

7 शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की बैठक

7.1 शासी परिषद की प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम दो बैठकें निदेशक द्वारा बुलाई जाएंगी जिसकी तिथि और समय निदेशक द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से निर्धारित की जा सकती है। इस नियम के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक वर्ष को जनवरी के पहले दिन से शुरू और उसी वर्ष के दिसंबर माह के 31वें दिन यानि कैलेंडर वर्ष में समाप्त किया जाएगा। जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देते तब तक परिषद की बैठकें संस्थान मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी।

7`.2 परिषद की एक विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा किसी भी अन्य समय पर, स्वयं की पहल से या परिषद के चार सदस्यों से कम नहीं, के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है।

8 बैठक की सूचना

8.1 परिषद की किसी भी बैठक के लिए, सदस्यों को कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस दिया जाएगा। किसी भी सदस्य द्वारा परिषद की किसी भी बैठक की सूचना प्राप्त न करना, तथापि, बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा

8.2 प्रत्येक बैठक की तिथि, समय और स्थान को इंगित करने वाली एक सूचना शासी परिषद के सचिव द्वारा सदस्यों को भेजी जाएगी। अध्यक्ष तत्काल

विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए एक छोटी सूचना पर शासी परिषद की एक विशेष बैठक बुला सकते है।

8.3 शासी परिषद के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध ई-मेल अथवा पते के अनुसार प्रत्येक सदस्य के पते पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल द्वारा या हाथ से सूचना भेजी जा सकती है। इस प्रकार भेजी गयी सूचना को उसी प्रकार विधिवत रूप से वितरित किया जाना माना जाएगा जैसा कि साधारण डाक के समय वितरित होगा।

8.4 बैठक का कार्यससूची बैठक से कम से कम 10 दिन पूर्व शासी परिषद के सचिव द्वारा परिचालित किया जाएगा।.

8.5 किसी भी मद को कार्यसूची में शामिल करने की मंशा की सूचना बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले शासी परिषद के सचिव तक पहुंचना चाहिए। अध्यक्ष किसी भी मद को शामिल करने की अनुमति दे सकते है जिसके लिए उचित सूचना नहीं दी गई थी।

9 बैठक की अध्यक्षता

शासी परिषद के अध्यक्ष शासी परिषद की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में (i) अध्यक्ष उस बैठक के लिए किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते है, या (ii) उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनमें से एक का चुनाव करेंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष उस बैठक के लिए अध्यक्ष के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपयोग करेंगे।

10 कोरम एवं प्रक्रिया

10.1 अध्यक्ष सहित छह सदस्यों की उपस्थिति शासी परिषद की किसी भी बैठक के लिए आवश्यक कोरम होगा।

10.2 शासी परिषद की बैठक में विचार किए जाने वाले सभी प्रकरणो पर सभी सदस्यों की आपसी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय मान्य होगी।

10.3 अध्यक्ष सहित शासी परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा, और यदि शासी परिषद द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रकरण पर यदि टाई होगा, तो अध्यक्ष एक अतिरिक्त निर्णायक वोट डालेंगे।

10.4 बैठक के संचालन की प्रक्रिया के संबंध में सभी प्रश्नों के लिए अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

10.5 यदि परिषद का कोई सदस्य (प॰ऊ॰वि॰, राज्य सरकार के आधिकारियों / प्रतिनिधियों और ट्रस्टियों के नामित व्यक्तियों, यदि कोई हो, को छोड़कर),

शासी परिषद से बिना अवकाश लिए लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो वह शासी परिषद का सदस्य नहीं रहेगा।

10.6 यदि विभाग के संयुक्त सचिव जो संस्थान का कार्य देखते हैं, या संयुक्त सचिव (वित्त) बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहेते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व उनके प्रतिनिधि / उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जो निदेशक / उप सचिव के पद से नीचे के पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में, प्रतिनिधि / नामित व्यक्ति के पास पूर्ण अधिकार होगा और उसे उस शासी परिषद की बैठक के लिए मानित सदस्य माना जाएगा तथा वह कोरम का हिस्सा होगा।

10.7 प॰ऊ॰वि॰ के पत्र संख्या JS(F)/DAE/IV/14/25/63 दिनांक 02 जून 2016 द्वारा पृष्ठांकित व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या F.No 8(4)E-Coord./84 दिनांक 15 अक्टूबर 1984 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे;-

(अ) रोजगार संरचना से संबंधित प्रस्ताव जैसे कि वेतनमान का चयन, भत्ते और उनमे संशोधन और पदों के सृजन को अपनाने के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(ब) ऐसे किसी भी वित्तीय प्रकरण पर, जो भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग में निहित शक्तियों से परे हों, वित्त विभाग के प्रतिनिधि एवं संस्थान कि शासी परिषद के अध्यक्ष में मतभेद होने कि स्थिति में प्रकरण को प्रशासनिक विभाग को विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा।

11 स्थगित बैठक

यदि बैठक के लिए तय समय के बाद पंद्रह मिनट की समाप्ति पर कोरम पूरा नहीं है, तो बैठक को अन्य ऐसी तारीख और समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष तय कर सकते है। हालाँकि, यदि कोई बैठक पंद्रह मिनट के बाद कोरम के लिए स्थगित की जाती है, तो वह उसी दिन 30 मिनट के अंतराल के बाद अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कि जा सकती हैं। कोरम के लिए स्थगित बैठक के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।

12 बैठक के कार्यवृत

12.1 रजिस्ट्रार, जो परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे, द्वारा परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त रखे जाएंगे और प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सदस्यों को यथाशीघ्र भेजी जाएगी।

12.2 बैठक के कार्यवृत को, संशोधन यदि कोई हो के साथ, शासी परिषद की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत की पुष्टि एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर के उपरांत इन्हे कार्यवृत पुस्तिका में अंकित किया जाएगा जिसे शासी परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

13 सर्कुलेशन द्वारा बिजनेस (परिचलन के माध्यम से किया जाने वाला प्रयोजन)

शासी परिषद द्वारा निष्पादित किया जाने वाले संस्थान का कोई भी प्रयोजन / प्रस्ताव / व्यवसाय, ऐसे प्रस्तावो/प्रयोजनों को छोड़ कर जो कि केवल शासी परिषद की बैठकों में ही रखा जा सकता है, अपने सभी सदस्यों के बीच संचालन/प्रसारण द्वारा किया जा सकता है और ऐसे परिचालित प्रकरण/प्रयोजन पर बहुसंख्यक सदस्यों की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसे भी अंकित की जाती है, के रूप में उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी होगा जैसे कि इस तरह के प्रयोजन/प्रस्ताव शासी परिषद की बैठक में पारित किया गया हो। शासी परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को सूचना और अनुसमर्थन के लिए शासी परिषद की अगली बैठक में सूचित किया जाना चाहिए।

14 रिक्ति

जब मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से, निदेशक के अतिरिक्त, परिषद के सदस्य के कार्यालय में रिक्ति उत्पन्न होती है, तो इस तरह की रिक्ति को उसी प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा जो इस तरह के सदस्य को नियुक्त करता है। इस तरह की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित सदस्य, उस सदस्य के कार्यकाल के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उन्हें नामित किया गया है।

शासी परिषद में किसी रिक्ति अथवा सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में दोष के कारण शासी परिषद की कोई कार्रवाई या संकल्प अमान्य नहीं होगा।

15 परिषद की समिति

परिषद अपने स्वयं के सदस्यों या संस्थान के कर्मचारियों या बाहर के विशेषज्ञों या इन व्यक्तियों के बीच से समितियों की नियुक्ति कर सकती है, और ऐसी समितियों को ऐसी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है जो बाईलाज और नियमों / उप-नियमों के अनुसार हैं

16 परिषद के निर्णय और आदेश का प्रमाणीकरण

शासी परिषद के सभी आदेशों और निर्णयों को रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर या परिषद की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

17 अयोग्यता

अध्यक्ष सहित परिषद का सदस्य केवल निम्न कारणो से सदस्य होने के लिए ही मान्य नहीं रहेगा;-

(अ) मानसिक दुर्बलता

(ब) न्यायालय द्वारा दोषी करार

(स) दिवालिया घोषित

(द) त्यागपत्र

(च) सेवानिवृत्ति (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य नियमित सदस्य अपने मूल संगठन से सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी शासी परिषद के पद पर बने सकते हैं)

(छ) मृत्यु

अध्याय - III

शासी परिषद एवं अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ

18 शासी परिषद की शक्तियाँ

भारत सरकार / विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के अधीन, संस्थान का प्रशासन और प्रबंधन परिषद की देखरेख में होगा। परिषद के पास शक्ति होगी;-

(i) इस बाईलाज की अनुसूची में अंकित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग;

(ii) संस्थान के मेनडेट के लिए विशिष्ट नियम / उप-नियम बनाना तथा संस्थान के निदेशक और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करना;

(iii) संस्थान के संचालन हेतु नियमो को बनाना तथा उनमे संशोधन करना।

(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के छह महीने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण को अनुमोदित करना;

(v) संस्थान के कर्मचारियों के लिए स्थापना, वेतन, पेंशन, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से संबंधित नियम तैयार करना;

(vi) संस्थान के मेनडेट के सापेक्ष छात्रों / अध्येताओं की प्रवेश संख्या का निर्धारण करना;

(vii) सलाहकार / विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर विचार करना;

(viii) संस्थान के मेनडेट को बढ़ावा देना जिसमें संस्थान के भीतर अनुसंधान शामिल है और संस्थान के सत्र की शुरुआत की तारीख एवं अवधि तय करना;

(ix) पद के सृजन / उन्नयन के लिए विभाग को संस्तुति प्रेषित करना क्योंकि पद सृजन / उन्नयन की शक्तियाँ सरकार / विभाग के पास निहित हैं। हालांकि, वैज्ञानिक / तकनीकी / संकायों या अन्य व्यक्तिगत पदोन्नति को समायोजित करने के लिए पदों का सृजन परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा

सकता है;

(x) संस्थान के निदेशक के स्तर से नीचे के लिए भर्ती नियम, पदोन्नति नीति, वेतन संरचना और कैडर संरचना का निर्धारण करना। यदि संस्थान के निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतनमान संयुक्त सचिव के समकक्ष या उससे अधिक है तो निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से शासी परिषद द्वारा सरकार / मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार की जाएगी;

(xi) शासी परिषद संस्थान के प्रशासनिक और सहायक कर्मियों के कैडर की समीक्षा करने और कार्यान्वयन का अनुमोदन करने के लिए सक्षम होगी। ऐसी कैडर समीक्षा से सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य या उससे अधिक वेतनमान वाले पदों का सृजन की स्थिति उत्पन्न होने के बाद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद उसे अनुमोदन के लिए विभाग को भेजा जाएगा।

(xii) प्रासंगिक प्रक्रियाओं / मानदंडों का पालन करते हुए संस्थान की पदोन्नति नीति के अनुसार सभी कर्मचारियों को पदोन्नति और अनुदान के सभी मामलों पर विचार करना;

(xiii) संस्थान की ओर से अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों (इन्स्ट्रूमेंट्स) का निष्पादन, कानूनी कार्यवाही का संचालन और बचाव और हस्ताक्षर करने का तरीका निर्धारित करना। शासी परिषद इन शक्तियों को ऐसे अन्य अधिकारियों को री-डेलीगेट सकती है जैसा कि आवश्यक समझा जाएगा;

(xiv) संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और संस्थान के किसी भी नियम के तहत ऐसे नियम बनाना, जो आवश्यक हो;

(xv) वित्त / स्थायी समिति के सदस्यों की नियुक्ति;

(xvi) सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण;

(xvii) संस्थान में निदेशक और अन्य प्रशासनिक प्रमुखों को शक्तियां सौपना जो उनमे निहित हों।

19 सेवाविस्तार

(संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए मौजूदा उपनियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु का पालन करेगा)

निम्नलिखित शर्तों के अधीन सिद्ध विशेषज्ञता वाले शिक्षाविदों की सेवाओं का विस्तार प्रदान करने के लिए;

(अ) सेवा के विस्तार को आम दिनचर्या का विषय नहीं माना जा सकता है। सेवानिवृत्ति

की आयु प्राप्त करने वाले शैक्षणिक सदस्यों की संख्या का केवल एक आंशिक भाग, जैसा कि प॰ऊ॰वि॰ द्वारा तय किया गया है, सेवा विस्तार के लिए पात्र होगा। चूँकि किसी वर्ष में ऐसे सदस्यों की संख्या, एचआरआई जैसे संस्थान में बहुत कम होने की संभावना है, इसलिए एचआरआई एक रोस्टर प्रणाली तैयार करेगा, जिसके तहत विस्तार की संख्या की गणना 3-4 वर्षों में सेवानिवृत होने वालों कुल सदस्यों की संख्या को देखते हुए की जाएगी। इस भावना के अनुसार एक विशिष्ट प्रस्ताव अगली बैठक में अनुमोदन के लिए शासी परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ब) उक्त प्रकरणो पर आरंभ में केवल दो वर्षों की अवधि के लिए और फिर समीक्षा के उपरांत अन्य दो वर्षों के लिए विचार किया जा सकता है;

(स) किसी भी स्थिति में सेवा में विस्तार पर 64 वर्ष की आयु के उपरांत विचार नहीं किया जाएगा।

(द) अकादमिक चयन समिति द्वारा सेवाओं के विस्तार के सभी प्रकरणो पर विचार किया जाएगा। समिति में प्रायोजक संस्थान के बाहर से कम से कम एक सदस्य शामिल होगा।

टिप्पणी: *उपर्युक्त विनियमों को बनाते समय खंड 18 और 19 के प्रविधानों का ध्यान रखा जाएगा कि बाईलाज के उक्त प्रविधानों का उल्लंघन ना हो अर्थात ये पूरक नियम बाईलाज / सरकार / विभाग के निर्देशों के विपरीत नहीं होने चाहिए।*

20 नियुक्ति प्राधिकारी

20.1 शासी परिषद ग्रेड-पे रु॰ 8700/- (7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13) के समकक्ष अथवा उससे अधिक वेतन वाले पदों के लिए नियुक्तियों के मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

20.2 निदेशक ग्रेड-पे रु॰ 4200/- से रु॰ 7600/- (7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 12) के समकक्ष तथा ग्रुप "बी" के समक्ष समस्त पदो के लिए लिए नियुक्तियों के मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

20.3 रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-पे रु॰ 4200/- (7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6) से निम्न के पदों लिए लिए नियुक्तियों के मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

20.4 एक विशेष वेतनमान में सदस्यों को पदोन्नति उसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी जो उस वेतनमान के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है।

21 अनुशासनात्मक प्राधिकरण

21.1 शासी परिषद अपने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है, जिनके लिए शासी परिषद नियुक्ति प्राधिकारी है। शासी परिषद के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील का प्रविधान नहीं है। दंड के

पुनर्विचार के लिए संबंधित द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर शासी परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है।

21.2 संस्थान के निदेशक उन कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं। शासी परिषद ऐसे सभी मामलों में अपीलीय, पुनरीक्षण (रिवीजन) और समीक्षा प्राधिकरण होगा।

21.3 संस्थान के रजिस्ट्रार उन कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं। ऐसे सभी मामलों में निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे तथा शासी परिषद रिवीजन और समीक्षा प्राधिकरण होगी ।.

22 प्राधिकारियों की विशिष्ट शक्तियाँ

22.1 अध्यक्ष

(i) जिन पदों के लिए परिषद द्वारा नियुक्तियां की जा सकती हैं उन पदों के लिए परिषद के अध्यक्ष के पास चयन समिति की सिफारिश पर प्रारंभिक वेतन के न्यूनतम स्तर से अधिक वेतनमान (अधिकतम 5 वेतनवृद्धि अनुमन्य करके) को निर्धारित करने की शक्ति होगी।

- आकस्मिक परिस्थितियों और संस्थान के हित में, परिषद के अध्यक्ष इस शक्ति का प्रयोग कर सकते है और इसके अनुमोदन के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना शासी परिषद को दी जाएगी।

22.2 निदेशक

निदेशक संस्थान के प्रमुख हैं और एफ़आर&एसआर, सामान्य वित्तीय नियम, यात्रा भत्ता नियम, एलटीसी नियम, भविष्य निधि (दोनों योगदानकर्ता और सामान्य) नियम, वित्तीय नियमों के अंतर्गत दी गई शक्तियों आदि का उपयोग विभाग के के रूप में कर सकते हैं।

(i) निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह संस्थान प्रशासन एवं प्रबन्धन का कार्य शासी परिषद के नियंत्रण में बाईलज और नियमों / उप-नियमों के अनुसार करे। आपात स्थिति में, वह ऐसी कार्रवाई कर सकतें है जो आवश्यक हो और बाद में परिषद को इसकी सूचना देंगे।

(ii) उन पदों के संबंध में कार्मिकों की भर्ती और पदोन्नति जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं।

(iii) निदेशक के पास यह अधिकार होगा की जिन पदों के लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, के लिए चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नवनियुक्त का मूल वेतन न्यूनतम स्केल के ऊपर निर्धारित कर दें परंतु यह पाँच वेतन वृद्धि से अधिक नहीं होगी। यह भारत सरकार / प॰ऊ॰वि॰

के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।

(iv) निदेशक के पास परियोजना कर्मचारियों / परियोजना सहायकों / तकनीशियनों और सलाहकारों सहित अन्य जनशक्ति को रखे जाने का अधिकार होगा जो न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के अधीन तत्समय की जरूरत के आधार पर आवश्यक हो। इस तरह की नियुक्ति परियोजना के पूरा होने की अवधि से अधिक नहीं होगी। इसमें सरकार / प॰ऊ॰वि॰ के मानदंडों (यदि कोई हो) का पालन किया जाएगा। .

(v) निदेशक के पास यह अधिकार होगा कि वे भारत के अंदर कार्मिकों को प्रशिक्षण या अनुदेशित के पाठ्यक्रम के लिए के लिये भेज सकें जो कि शासी परिषद द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

(vi) निदेशक के पास किसी भवन को किराए या पट्टे पर लेने अथवा अपने भवन को किराए या पट्टे पर देने का अधिकार होगा।

(vii) निदेशक के पास ऐसे भवन जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अनुपयोगी हो, के लिए छूट या किराया घटाने की शक्ति होगी।

(viii) निदेशक के पास संस्थान के कार्यालय और आवासीय भवनों के संबंध में "एस्टेट ऑफिसर"/सम्पत्ति अधिकारी जैसी शक्तियां होंगी।

(ix) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति की स्थिति में, जो कि एक माह से अधिक न हो, उसका दायित्व या तो स्वम ग्रहण करेंगे अथवा यह ज़िम्मेदारी किसी अन्य कार्मिक को देंगे जिसे वे उचित समझें। यदि किसी समय रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति एक माह से अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में यदि शासी परिषद उचित समझे तो एक माह से अधिक के लिए रजिस्ट्रार के कार्यों का दायित्व लेने के लिए निदेशक को अधिकृत कर सकता है कि या तो वे स्वयं कार्यभार ले लें अथवा उप्रोक्तनुसार किसी अन्य को दे दें।

(x) निदेशक, मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान उप निदेशक या डीन या वरिष्ठ प्रोफेसर में से एक जो कि सेवानिवृत्ति की आयु से कम हो, को निदेशक पद के वर्तमान कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

(xi) शासी परिषद के अनुमोदनोपरांत निदेशक अपनी शक्तियाँ, जिम्मेदारियों और अधिकार जो उन्हे मिले हुए हैं, को संस्थान के एक या अधिक अकादमिक अथवा गैर-अकादमिक सदस्यों को सौप सकते हैं।

(xii) सेवा में एससी/एसटी/ओबीसी तथा दिव्यांग व्यक्ति के लिए नियमानुसार आरक्षण सुनिशित करने का दायित्व निदेशक का होगा।

(xiii) कर्मचारियों से संबंधित न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन या अन्य

से संबन्धित निर्णय लेना।

(xiv) निदेशक विधिक मामलो को अदालतों मे बचाव करने के लिए विधिक सलाहकार / पैरोकार / वकीलों को नियुक्त कर सकते है तथा उनके शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(xv) निदेशक को भारत के अंदर या विदेश में अकादमिक गतिविधि के लिए कर्मचारियों को ऐसे नियम और शर्तों के अधीन भेजने की शक्ति होगी, जिन्हें परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

22.3 रजिस्ट्रार

(i) परिभाषा के अनुसार रजिस्ट्रार संस्थान के प्रमाणीकरण (सील) एंड सम्पत्ति (जायदाद) का संरक्षक है।

(ii) रजिस्ट्रार शासी परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(iii) निदेशक के सामान्य नियंत्रण में काम करेंगे। संस्थान से संबंधित समस्त प्रकरणो में वह निदेशक के सामान्य नियंत्रण और आदेशों के अंतर्गत कार्य करेंगे।

(iv) रजिस्ट्रार निदेशक के निर्देशों के अधीन संस्थान से संबंधित पत्राचार के प्रभारी होंगे।

(v) रजिस्ट्रार प्रशासनिक / गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और संस्थान के सामान्य रखरखाव में संबन्धित कर्मचारियों के प्रभारी होंगे।

(vi) रजिस्ट्रार परिसर के रखरखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था देखेंगे।

23 अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य

23.1 अकादमिक स्टाफ (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर और अध्येता)

(i) **पर्यवेक्षण:** अकादमिक स्टाफ के सदस्य अनुसंधान कार्य, शोध छात्रों (रिसेर्च स्कोलर्स) के पर्यवेक्षण तथा संस्थान की शिक्षण गतिविधि में सम्मिलित होंगे। वे संस्थान के कामकाज में सहायता के लिए निदेशक द्वारा गठित समितियों में भी भाग लेंगे।

(ii) **आवधिक प्रतिवेदन (पेरिओडिकल्स रिपोर्ट्स):** प्रत्येक शैक्षणिक सदस्य अपने काम के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान इस तरह की रिपोर्ट एक से कम नहीं होगी।

(iii) **शोध कार्यक्रम:** अकादमिक स्टाफ के सदस्य समय-समय पर जब ऐसा करने के लिए बुलाया जाएगा, निदेशक को अपने और अपने साथ काम करने वाले शोध कर्मियों के शोध कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे।

(iv) **कार्य की स्वीकृति:** संस्थान में किए जाने वाले अनुसंधान की सभी नई योजनाएं, जिसमें कोई भी व्यय शामिल हो सकता है, स्वीकृति के लिए निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) संबंधित संकाय के शिक्षण संबंधित शैक्षिक गतिविधि का निर्णय संबंधित संकाय निकाय द्वारा किया जाना है।

(vi) **डीन:** निम्नलिखित कार्यों की देखरेख के लिए निदेशक सामान्य रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित डीन की नियुक्ति करेंगे। इस नियुक्ति को अगली शासी परिषद की बैठक में सूचित किया जाएगा।

(अ) डीन (अकादमिक): संस्थान के छात्रों और शोध छात्रों (रिसर्च स्कोलर्स) से संबंधित प्रकरणो पर होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के साथ संस्थान के शिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना।

(ब) डीन (छात्रों के प्रकरण): छात्रों और शोध छात्रों (रिसर्च स्कोलर्स) की सुविधाओं और रहने की स्थिति पर नजर रखना और उनकी शिकायतों का निपटारा करना।

(स) **डीन (प्रशासन):** शिक्षाविदों और प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना और सरकार से प्राप्त नीति निर्देशों पर निदेशक को सलाह देना।

23.2 पुस्तकालय अध्यक्ष (लाईब्रेरियन)

(i) **पुस्तकालय की अभिरक्षा की जिम्मेदारी:** पुस्तकालय से संबंधित पुस्तकों, पांडुलिपियों, पत्रिकाओं आदि की अभिरक्षा के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष जिम्मेदार होगा और एक पूर्ण रजिस्टर और सूचकांक बनाए रखेगा।

(ii) **पुस्तकालय के नियम:** पुस्तकालय के उचित संचालन के लिए निदेशक द्वारा नियुक्त पुस्तकालय समिति द्वारा समय-समय पर पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाएंगे, जैसा कि आवश्यक हो।

(iii) **वार्षिक रिपोर्ट:** पुस्तकालयाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत तक पुस्तकालय समिति द्वारा निदेशक को प्रस्तुत करने के लिए पुस्तकालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(iv) **पत्राचार:** पुस्तकालय समिति द्वारा अनुमोदित पुस्तकों की खरीद के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष जिम्मेदार होगा, तथा सुनिश्चित करेगा कि पत्राचार की प्रतियां सूचना के लिए रजिस्ट्रार को भेजी जा रही हैं।

(v) **स्टॉक परीक्षण एवं रखरखाव:** पुस्तकालयाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष

पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का स्टॉक परीक्षण करेगा। पुस्तकालय समिति इस रिपोर्ट की जांच के लिए कर्मियों को नियुक्त कर सकती है।

23.3 **लेखा अधिकारी**

(i) रजिस्ट्रार और निदेशक के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा। संस्थान के खातों से संबंधित सभी मामलों में, वह रजिस्ट्रार और निदेशक के सामान्य नियंत्रण और आदेशों के तहत कार्य करेगा।.

(ii) वह खातों के रखरखाव, खातों से जुड़े कागजात की अभिरक्षा, वेतन बिल एवं वेतन चेक़ तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(iii) वह परिषद को प्रस्तुत करने के लिए निदेशक के लिए वार्षिक बजट अनुमान तैयार करेगा।

अध्याय – IV
कर्मचारी, इनकी श्रेणियाँ तथा नियुक्तियाँ

24 संस्थान के कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) के सदस्यों का वर्गीकरण

आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए कर्मचारियों तथा परियोजना कर्मचारियों को छोड़ कर, संस्थान के कर्मचारियों के सदस्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा;-

(अ) **शैक्षणिक / वैज्ञानिक:-** जिसमे सम्मिलित होंगे निदेशक, उपनिदेशक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता, कार्यशाला अधीक्षक, एसोसिएट व्याख्याता, सहायक व्याख्याता / प्रशिक्षक, वैज्ञानिक / तकनीकी अधिकारी, रिसर्च एसोसिएट / सहायक, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद जो शासी परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं। किसी विशेष पद के अकादमिक होने के रूप में किसी भी संदेह के मामले में, निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

(ब) तकनीकी:- जिसमे सम्मिलित होंगे वैज्ञानिक सहायक, फोरमैन, पर्यवेक्षक (कार्यशाला), मैकेनिक, तकनीशियन, अग्निशमन सेवा कार्मिक और ऐसे अन्य तकनीकी पद जो शासी परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं। किसी विशेष पद के तकनीकी होने के रूप में किसी भी संदेह के मामले में, निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

(स) प्रशासनिक एवं अन्य जिसमे सहायक सम्मिलित हैं:- जिसमे सम्मिलित होंगे रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, वित्त अधिकारी, संयुक्त/उप लेखा नियंत्रक, सहायक लेखा अधिकारी, क्रय अधिकारी, भंडार/क्रय अधिकारी, संपत्ति अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, हाउस सर्जन और अन्य मेडिकल स्टाफ, स्टोर कीपर, क्रय सहायक, सुरक्षा कार्मिक, ड्राइवर, मल्टी-टास्किंग स्टाफ और ऐसे अन्य प्रशासनिक

ओर दूसरे पद जो शासी परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं। कर्मचारियों के सदस्यों के वर्गीकरण में किसी भी संदेह की स्थिति में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

(द) **इसके अतिरिक्त संस्थान के कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:-**

(i) ऐसे पद जिनका वेतनमान ग्रेड-पे रु॰ 5400 (या समकक्ष) (सातवें वेतन में पे-मैट्रिक्स के लेवल 10) के बराबर या उससे अधिक हो, को भारत सरकार की सेवा के **समूह "क"** के समान वर्गीकृत किया गया है।

(ii) ऐसे पद जिनका वेतनमान ग्रेड-पे रु॰ 4200 (या समकक्ष) (सातवें वेतन में पे-मैट्रिक्स के लेवल 6) के बराबर या उससे अधिक तथा ग्रेड-पे रु॰ 5400 (या समकक्ष) (सातवें वेतन में पे-मैट्रिक्स के लेवल 10) से कम हो, को भारत सरकार सेवा के **समूह "ख"** के समान वर्गीकृत किया गया है।

(iii) ऐसे पद जिनका वेतनमान ग्रेड-पे रु॰ 4200 (या समकक्ष) (सातवें वेतन में पे-मैट्रिक्स के लेवल 6) से कम हो, को भारत सरकार सेवा के **समूह "ग"** के समान वर्गीकृत किया गया है।

(उपर्युक्त वर्गीकरण को तब-तब उस अनुसार संशोधित माना जाएगा जब-जब जिस अनुसार इसे भारत सरकार द्वारा संशोधित किया जाएगा)

25 नियुक्तियाँ एवं पदोन्नतियाँ

(अ) सभी पद केंद्र / संस्थान की अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भरे जाएंगे। सभी पद सामान्य रूप से विज्ञापनों के माध्यम से ही भरे जाएंगे। परंतु असाधारण प्रकरण में अपवाद स्वरूप, शासी परिषद के पास निदेशक की सिफारिशों पर यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि किसी विशेष पद को निमंत्रण से अथवा संस्थान के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाए।

(ब) नियुक्तियाँ करते समय, संस्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के लिए शासी परिषद के निर्णय के अनुसार आवश्यक प्रावधान करेगा।

(स) जहां एक पद अनुबंध के आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है, अध्यक्ष अपने विवेक से, इस तरह की तदर्थ चयन समिति का गठन कर सकते हैं जैसी कि प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों में आवश्यकता हो सकती है।

(द) जहां किसी पद को संस्थान के सदस्यों के बीच पदोन्नति द्वारा या अस्थायी रूप, जो कि 12 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा, से भरा जाना है, के लिए शासी परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन होगा।

(च) इस बाईलाज के प्रविधानों के इत्तर भी शासी परिषद के पास "अनुमोदित" कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियों को इस तरह से करने की शक्ति होगी जैसा कि उपयुक्त समझा जाए।

(छ) शासी परिषद संस्थान में भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई/OCI) की नियुक्ति के लिए सरकार के नियमों के अनुसार संस्थान के नियमों या प्रक्रिया को निर्धारित कर सकती है।

(ज) जब तक कि अन्यथा बाईलाज के अंतर्गत प्राविधान नहीं किया जाता है, एक चयन समिति जिसका गठन इन नियमों के अंतर्गत हुआ है, अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए पात्र होगी जब तक कि नियुक्ति नहीं हो जाती।

(झ) समस्त कि जाने वाली नियुक्तियाँ / पदोन्नतियाँ की सूचना शासी परिषद की अगली बैठक मे प्रस्तुत की जाएगी।

26 निदेशक / संस्थान के प्रमुख की नियुक्ति

26.1 नियुक्ति की प्रक्रिया प॰ऊ॰वि॰ के निर्देशानुसार होगी। शासी परिषद के अनुरोध पर प॰ऊ॰वि॰ द्वारा “सर्च कमेटी” का गठन किया जाएगा। सर्च कमेटी की संस्तुतियों को विचार और अनुसमर्थन हेतु शासी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।.

26.2 निदेशक की नियुक्ति एक बार में सामान्यत: पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी। उनका वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें, शासी परिषद द्वारा विभाग के मानदंडों के अनुसार तय की जाएंगी।

26.3 वह परमाणु ऊर्जा विभाग की सहमति से शासी परिषद के विवेक पर पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति निदेशक के पद को 65 वर्ष की आयु के उपरांत ग्रहण नहीं कर सकता है।

26.4 निदेशक की नियुक्ति और निदेशक के रूप में कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। निदेशक के इस्तीफे की स्वीकृति अथवा निदेशक के शीघ्र कार्यमुक्त हेतु प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाएगा।

27 कार्यवाहक निदेशक / प्रभारी/कार्यकारी निदेशक

27.1 क्लाज 26 में प्रविधानित न होंने के बावजूद, क्लॉज़ 26 के अंतर्गत नियुक्त निदेशक की अनुपस्थिति में, (30 से अधिक दिनों की स्थिति में) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को कार्यवाहक निदेशक (ओफ़िफ़शियटिंग निदेशक) नियुक्त कर सकते हैं। इसकी सूचना शासी परिषद की अगली बैठक में दी जाएगी। वह दिन-प्रतिदिन के कार्यो/प्रकरणो मामलों को तो देखेंगे परंतु नियमित निदेशक की वैधानिक शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे।

27.2 शासी परिषद, निदेशक के पद की रिक्तिता की स्थिति में निदेशक यानी प्रभारी/कार्यकारी निदेशक की अस्थायी नियुक्ति भी कर सकता है। इस क्लाज के अंतर्गत प्रत्येक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष की अवधि लिए प.ऊ.वि. की सहमति से होगी।

28 रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / वित्त अधिकारी की नियुक्ति

निदेशक की संस्तुति पर शासी परिषद द्वारा रजिस्ट्रार / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / वित्त अधिकारी, जिनका वेतनमान चाहे कुछ भी हो, की नियुक्ति की जाएगी।

अध्याय – V
वित्त एवं लेखा

29 वर्ष

संस्थान का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक होगा।.

30 संस्थान का बजट तथा निधि (फ़ंड)

30.1 निदेशक संस्थान के वार्षिक बजट अनुमान तैयार करने के प्रभारी होंगे तथा उस पर शासी परिषद की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। वित्त मंत्रालय / परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा) के अनुसार विभिन्न खातों के शीर्षक के अंतर्गत ये अनुमान प्रदान किए जाएंगे।

प्राप्तियों और व्यय के संबंध में जानकारी निम्नानुसार होगी;-

(अ) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक;
(ब) चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमान;
(स) वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान;
(द) अगले वर्ष के लिए बजट का अनुमान

संस्थान की निधियों (फ़ंड) में निम्नलिखित का समावेश होगा;

(i) सरकारों, सरकारी निकायों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों या निगमों, संस्थानों या सोसाइटीस से अनुदान;
(ii) संस्थान की संपत्तियों, परिसंपत्तियों और निवेशों से प्राप्त आय या लाभ, संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री, समय-समय पर लगाया जाने वाला शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क आदि;
(iii) शासी परिषद द्वारा अनुमोदित अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदान या अनुदान;
(iv) परामर्श (कंसल्टेंसी) और अन्य शुल्कों से आय;
(v) समग्र निधि (कॉर्पस फंड);

30.2 प्राप्तियों और व्यय के संबंध में जानकारी निम्नानुसार होगी;

(अ) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक;
(ब) चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमान;
(स) वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान;
(द) अगले वर्ष के लिए बजट का अनुमान

30.3 खातों को लेखा मानकों के अनुसार तथा निर्धारित प्रारूप में विधिक आवश्यकतानुसार बनाए रखा जाएगा।

30.4 संस्थान के लेखा का दायित्व रजिस्ट्रार का होगा।

30.5 भुगतान के लिए पारित सभी बिलों पर "भुगतान के लिए पारित कर दिया" पृष्ठांकित किया जाएगा और निदेशक या संस्थान के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिनके लिए यह शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

30.6 निदेशक द्वारा एक स्थायी अग्रिम राशि को समय-समय निर्धारित किया जाएगा जिसे नकद भुगतान के लिए रजिस्ट्रार द्वारा रखा जा सकता है।

30.7 संस्थान की ओर से या उसके लिए प्राप्त सभी धनराशि संस्थान के नाम से, चालू, बचत या सावधि जमा खातों में राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बैंक में रखी जाएगी।

31 लेखा परीक्षा (ऑडिट)

संस्थान के खातों को वर्ष विधिक अनुसार पात्र चार्टड अकाउंटेंट अथवा लेखाकार (सांविधिक लेखा परीक्षक) द्वारा लेखा परीक्षित किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए इनकी नियुक्ति समय-समय पर शासी परिषद की स्वीकृति से निदेशक द्वारा की जाएगी। सांविधिक लेखा परीक्षकों का चयन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सूचीबद्ध सूची से किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षकों की अवधि सामान्य रूप से तीन वर्ष के लिए होगी।

32 वित्तीय शक्तियों का प्रयोग

संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर क्रय, कार्य अनुबंध, परामर्श अनुबंध आदि के संबंध में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित आदेशों द्वारा संचालित होगा। शासी परिषद अपनी शक्तियों को उस सीमा तक विभिन्न अधिकारियों को सौंपेगी जितना आवश्यक होगा।

.

अध्याय – VI
समितियां

33 वित्त समिति

33.1 निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक वित्त समिति होगी;-

(अ) शासी परिषद के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;

(ब) निदेशक
(स) प॰ऊ॰वि॰ के संयुक्त सचिव जो संस्थान का कार्य देखते हों,
(द) संयुक्त सचिव (वित्त)
(च) यदि आवश्यक हो तो शासी परिषद द्वारा नामित एक या दो सदस्य
(छ) रजिस्ट्रार

33.2 वित्त समिति का कार्य निम्नानुसार होगा;-

i॰ वार्षिक बजट का परीक्षण एवं जांच कर इसकी संस्तुति शासी परिषद को प्रेषित करना;
ii॰ संस्थान के वित्त से संबंधित कोई भी प्रकरण;
iii॰ संस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण की जांच करना;
iv॰ उपयोगकर्ता शुल्क का निर्धारण तथा उसकी समीक्षा;
v॰ समिति अपने कार्यवृत को विचार एवं पुष्टि के लिए शासी परिषद को प्रस्तुत करेगी;
vi॰ परामर्श अनुबंध, कार्य एवं क्रय अनुबंध को अंतिम रूप देने हेतु शासी परिषद की संबंधित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग;

33.3 समिति की बैठक, किसी विशेष कार्य के लिए जिसमें ऐसा करने के लिए जितनी बार आवश्यक हो या शासी परिषद / अध्यक्ष की इच्छा होगी, आहूत होगी;

33.4 समिति, विचार और पुष्टि के लिए शासी परिषद को अपनी बैठक के कार्यवृत प्रस्तुत करेगी

34 भवन और निर्माण समिति (बीडबल्यूसी)

परिषद द्वारा गठित संस्थान की एक भवन और निर्माण समिति (बीडबल्यूसी) होगी। समिति में संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में 5-7 सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिन्हें शासी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक एवं वित्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा। समिति शासी परिषद के निर्देशन में तथा प॰उ॰वि॰ / सीपीडब्ल्यूडी कार्य प्रक्रिया के फ्रेम वर्क के अनुसार कार्य करेगी।

35 अकादमिक चयन समिति (एएससी)

शासी परिषद के अकादमिक / वैज्ञानिक सदस्य और अकादमिक स्टाफ के ऐसे अन्य सदस्य जिनके संबंध में शासी परिषद द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, को सम्मिलित करते हुए संस्थान की अकादमिक चयन समिति (एएससी) का गठन होगा। इस संदर्भ में समिति शर्ते तथा कार्यों का निर्धारण शासी परिषद द्वारा किया जाएगा जो कि निम्नानुसार हो सकता है;-

(i) यह, संस्थान की शिक्षण गतिविधियों से संबंधित तथा डिग्री दिये जाने हेतु समस्त प्रकरणो के लिए शासी परिषद को सलाह / संस्तुति देगी।
(ii) यह, इन संस्तुतियों के संभावित कार्यान्वयन के लिए अपने नियम और प्रक्रियाएं

तैयार करेगी।

(iii) यह, संस्थान के अकादमिक सदस्यों की पदोन्नति और नियुक्ति के लिए शासी परिषद को संस्तुति करने के लिए उत्तरदायी होगी जो उनके दायरे में आता हो।

अध्याय - VII
सेवा शर्तें

36 अनुशासनात्मक नियम

36.1 वह प्राधिकारी जो संस्थान के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकता है, वह उनके कदाचार के लिए या उसके द्वारा नियुक्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए उसको निलंबित, पदच्युत (डिस्चार्ज), बर्खास्त या दंडित कर सकता है;

36.2 आचरण और अनुशासनात्मक नियमों के प्रकरणो में, कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण वर्गीकरण और अपील), 1965 द्वारा शासित होंगे।

37 अवकाश नियम

37.1 कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अवकाश नियमों के अनुसार अवकाश (आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा आधार पर छुट्टी सहित) प्रदान किया जाएगा। अध्ययन अवकाश, सबाटिकल अवकाश (sabbatical leave), असाधारण अवकाश आदि के नियम प॰उ॰वि॰ के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।

37.2 अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। जहां कार्यालय की आवश्यकताएं हैं, किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकार करने या रद्द करने का विवेकाधिकार अवकाश देने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहता है।

38 कार्मिकों की भर्ती और पदोन्नति

38.1 संस्थान के सभी श्रेणियों में भर्तियाँ तथा प्रोन्नतियों जिनमे मूल्यांकन और योग्यता पदोन्नति भी सम्मिलित है, शासी परिषद द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजना के अनुसार विनियमित की जाएगी।

38.2 संस्थान के पास एफ॰आर॰-56 (जे) के प्रावधान के अनुसार एक उचित प्रणाली होगी जिसके अंतर्गत यह अपने कर्मचारियों की समीक्षा कर सके।

38.3 संस्थान अपने शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की

(ए॰पी॰ए॰आर॰) शुरुवात करेगा। प्रशासन, तकनीकी, अन्य वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारियों के लिए, संस्थान प्रशासनिक विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

39 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में नियम / आदेश जारी किए जाते हैं, वे संस्थान में इन पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध उस सीमा तक लागू होंगे।

40 संविदात्मक सेवा

निदेशक संस्थान के लिए अवसंरचनात्मक, समर्थन, रखरखाव और अन्य संबंधित सेवाओं को जहां तक संभव हो सके, आउटसोर्स और अनुबंधित करेंगे। ठेकेदार के माध्यम से लगे किसी भी व्यक्ति को संस्थान का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। जहां तक संभव हो, संस्थान प्रासंगिक श्रम कानूनों के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान और पालन सुनिश्चित करेगा।

अध्याय - VIII
विविध

41 संस्थान की ओर से अनुबंधों का निष्पादन

संस्थान और निदेशक के मध्य को छोड़कर अन्य सभी समझौते, अनुबंध आदि, जो संस्थान के कार्य/व्यवसाय के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, शासी परिषद की ओर से निदेशक द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए परिषद द्वारा अधिकृत संस्थान के एक अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

निदेशक के साथ अनुबंध: संस्थान और निदेशक के मध्य सभी अनुबंध अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो इस प्रयोजन के लिए शासी परिषद द्वारा अधिकृत गया हो, निष्पादित किए जाएंगे।

42 शाश्वत/सतत उत्तराधिकार

संस्थान का शाश्वत / सतत उत्तराधिकार होगा और वह अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से मुकदमा करने में अथवा इसके नाम पर हुए मुकदमे के लिए सक्षम होगा।

43 बाईलाज में संशोधन

शासी परिषद के पास इस नियम के प्रावधानों को इस उद्देश्य के लिए आहूत बैठक में उपस्थित तीन-चौथाई सदस्य द्वारा बदलने, जोड़ने या संशोधित करने की शक्ति होगी। ये बाईलाज उन नियमो के अधीन जिसके अंतर्गत संस्थान पंजीकृत है, प्रशासनिक विभाग की

सहमति से संशोधित किए जा सकते हैं।

44 अवशिष्ट शक्ति

ऐसी शक्तियाँ जो इस बाईलाज में निहित नहीं हैं, शासी परिषद द्वारा प्रशासनिक विभाग की सहमति से उपयोग की जा सकती हैं।

45 बाईलाज की व्याख्या

बाईलाज या गवर्नेंस के नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के प्रकरण में, शासी परिषद का निर्णय अंतिम तथा सभी के लिए बाध्यकारी है।

46 छूट का अधिकार

शासी परिषद वृहद जनहित में बाईलाज के किसी भी या सभी प्रावधानों को शिथिल करने के लिए सक्षम है।

47 वार्षिक प्रतिवेदन

शासी परिषद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को संस्थान के कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखाओं का लेखा परीक्षित (audited) विवरण सम्मिलित होगा।

48 सूचना का अधिकार अधिनियम

संस्थान सार्वजनिक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 का अनुश्रवण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोसर्स ठीक प्रकार से अद्यतन हो तथा समय-समय पर अद्यतन होते रहें।

49 शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना

कार्मिकों के साथ-साथ सार्वजनिक जनसमान्य की शिकायत निवारण के लिए एक उचित तंत्र होना चाहिए। संस्थान शिकायत शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए एक लोक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

50 यौन उत्पीड़न अधिनियम का कार्यान्वयन

संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि "कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)" अधिनियम सही भावना एवं रूप में संस्थान में लागू किया गया है।

51 नियम और विनियम

संस्थान द्वारा उपरोक्त बाईलाज का पालन किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, उपरोक्त के

अतिरिक्त, इसकी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त नियम और विनियम तैयार किए जा सकते हैं जिसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि बाईलाज में उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है अर्थात वह उपरोक्त बाईलाज के प्रावधानों अथवा सरकार/विभाग के निर्देशों के विपरीत नहीं होना चाहिए। नियमों और विनियमों और इन बाई-लाज के बीच कोई असंगतता होने की स्थिति में, बाई-लाज के प्रावधान ही मान्य होंगे।

नोट:- *उपरोक्त विनियम बनाते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बाई-लाज में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन न हो अर्थात ये पूरक नियम उपरोक्त बाई-लाज के प्रावधानों या सरकार/विभाग के निर्देश के विपरीत न हों। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित तंत्र होना चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी को आरक्षण और उनकी शिकायत के निवारण की व्यवस्था हो। संस्थान को उपरोक्त के अनुपालन लिए अपनी प्रणाली बनानी चाहिए। .*

52 प्रकरण जो यहाँ सम्मिलित्त नहीं

52.1 **शंकाओं का निवारण:** जहां इन बाई-लाज के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामले को निर्णय के लिए शासी परिषद को भेजा जाएगा।.

52.2 यदि कोई प्रश्न उठता है जो इन बाई-लाज के अंतर्गत नहीं आता है, तो परिषद का निर्णय अंतिम होगा। इसमें शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के विनियमन के संबंध में, इस विषय पर केंद्र सरकार के नियमों/आदेशों आदि का सहारा लिया जाएगा।

53 सेविंग क्लॉज़

सरकार या विभाग द्वारा कोई भी निर्देश संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा तथा संस्थान के बाई-लाज, अधिनियम/स्टेचू (statute) या नियमों के किसी भी प्रावधान पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा।

.

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान

प्रयागराज (इलाहाबाद)

(परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक सहायता प्राप्त संस्थान)

नियम / उप-नियम

(नियम/उप-नियम जो कि पूर्ववत बाई लाज में विद्यमान थे, को इस नए बाई लाज में भी रखा जा रहा है)

नियम सं.	नियम / उप-नियम शीर्षक	विवरण
01	**विजिटिंग वैज्ञानिक/प्रोफेसर**	संस्थान के निदेशक, संस्थान के संकाय / ए॰एस॰सी के परामर्श से, भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित प्रोफेसरों से अनुरोध करते हुए कि वे निर्धारित शर्तों, जो कि शासी परिषद द्वारा आगंतुक वैज्ञानिक (विजिटिंग साइंटिस्ट) के लिए निर्धारित है, पर विशिष्ट अवधि के लिए संस्थान को अपना सहयोग और सेवाएं प्रदान करने का निमंत्रण दे सकते हैं, जिसके लिए प॰ऊ॰वि॰ / भारत सरकार के विनियमों का पालन किया जाएगा। निदेशक निमंत्रण अवधि को बढ़ा सकते हैं तथा इसके अनुसमर्थन के लिए ए॰एस॰सी॰ / शासी परिषद को रिपोर्ट करेंगे। **एमेरिटस प्रोफेसर**: शासी परिषद निदेशक की संस्तुति पर एक ऐसे प्रोफेसर को एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में मनोनीत कर सकती है जो कम से कम 15 वर्षों की निरंतर/अखंड सेवा के बाद संस्थान से सेवानिवृत्त हो गए हों। एमेरिटस प्रोफेसर को शासी परिषद द्वारा समय-समय पर तय किए जाने वाले विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।
02	**भुगतान**	सभी चेकों पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने हैं: (1) लेखाधिकारी (2) रजिस्ट्रार (3) उप-रजिस्ट्रार (4) डीन (प्रशासन) और (5) निदेशक
03	**संस्थान में प्रवेश**	**3.** 1 **आवेदन:** संस्थान में एक शोध छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित एक निर्धारित प्रपत्र पर रजिस्ट्रार को किया जाएगा। यदि छात्रों को किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा की कुछ सूचीबद्ध/अर्हता सूची के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है, तो ऐसे लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों का विवरण रिकॉर्ड के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। **3.**2 **प्रवेश:** शोध छात्रों को संस्थान के अकादमिक सदस्यों से मिलकर बनी समिति (समितियों) के परामर्श से निदेशक द्वारा प्रवेश दिया जाएगा।
04	**भ्रमण के लिए टी.ए./डी.ए., एल.टी.सी. इत्यादि**	**4.**1 शासी परिषद के सदस्यों और संस्थान के कर्मचारियों के लिए संस्थान के व्यवसाय/कार्य के संबंध में यात्रा के लिए भत्ते का भुगतान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार किया जाएगा। **4.**2 अवकाश यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰) के लिए सरकार द्वारा

		निर्धारित नियम मान्य होंगे।
05	**वैज्ञानिक सम्मेलनों में उपस्थिति**	5.1 निदेशक के प्रकरण में शासी परिषद द्वारा तथा अन्य के प्रकरण में निदेशक या स्टाफ का एक सदस्य जिसे अन्य के मामले में निदेशक द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, द्वारा अकादमिक स्टाफ के सदस्यों को वैज्ञानिक सम्मेलनों और सम्मेलनों (Congresses) में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है तथा विशेष प्रशिक्षण या संस्थान के काम के लिए प्रतिनियुक्त (depute) किया जा सकता है। 5.2 स्टाफ के सदस्य, जब उपरोक्त उप-नियम 5.1 के तहत संस्थान द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, समय-समय पर शासी परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति और यात्रा भत्ते के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार प्रतिनियुक्त सदस्य वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे और आधिकारिक आवास के लिए भी पात्र होंगे बशर्ते उनके आश्रित उसी में बने रहें।
06	**वैज्ञानिक पत्रिकाओं, अतिरिक्त भित्ति व्याख्यान और परीक्षक के रूप मे योगदान**	6.1 संस्थान के सदस्यों द्वारा संस्थान में किए गए कार्य के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक पत्रिकाओं में योगदान में संस्थान का नाम शामिल होगा। कोई भी योगदान जो वर्गीकृत या गोपनीय सामग्री से संबंधित हो सकता है, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। 6.2 अकादमिक स्टाफ के सदस्य विश्वविद्यालयों या शिक्षित/विद्वान समाज में अपने कार्यक्षेत्र से संबन्धित पाठ्यक्रम का व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते इस तरह के व्याख्यान संस्थान में उनके कार्यों को बाधित न करें, और इसके लिए उनके द्वारा निदेशक या स्टाफ के सदस्य जिसको निदेशक द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है। 6.3 **परीक्षक:** निदेशक, या उनके द्वारा अधिकृत स्टाफ के सदस्य के पूर्व अनुमोदन से, संकाय के अकादमिक सदस्य स्नातकोत्तर डिग्री के लिए परीक्षक की भूमिका, यदि उन्हें प्रस्तावित की जाती है, को स्वीकार कर सकते हैं
07	**अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति**	संस्थान के निदेशक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करेंगे तथा शासन के मानदंडों के अनुसार शासी परिषद के परामर्श से निर्णय लेंगे।
08	**चिकित्सा नियम**	प॰ऊ॰वि॰ ने आदेश संख्या 11/15(1)/2016/कॉमन/आर एंड डी-II/4193 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्देश दिया है कि "संस्थान द्वारा निर्णय लिया जा सकता है कि वे या तो अपनी मौजूदा चिकित्सा योजना जारी रख सकते हैं अथवा एनपीसीआईएल, एनएपीपी योजना के साथ संलग्न हो जाते हैं।" इसके दृष्टिगत शासी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित और समय-समय पर संशोधित चिकित्सा सहायता नियम (2006) का संस्थान में पालन किया जाएगा।
09	**सहायता प्राप्त संस्थानों**	प॰ऊ॰वि॰ के आदेश सं॰ 11/15(1)/2016/कॉमन/आर॰एंडडी॰-II/4193 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुसार विभाग द्वारा प्रयोग की जाने

	के लिए वित्तीय शक्तियों के नियमों का प्रयोग	वाली "प॰ऊ॰वि॰ वित्तीय शक्ति नियमों" की शक्तियों को सहायता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्ताव पर सहायता प्राप्त संस्थानों की शासी परिषद को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।
10	**अकादमिक सदस्यों की नियुक्ति एवं पदोन्नति प्रक्रिया**	17-8-98 को आयोजित शैक्षणिक चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त से उद्धरण के अनुसार तथा शासी परिषद कि बैठक दिनांक 18-08-98 द्वारा संकल्प संख्या 16 द्वारा पारित/अनुमोदित निम्नलिखित प्रावधान निम्नानुसार हैं:- 1॰ संस्थान में अकादमिक स्टाफ की भर्ती की एक सतत प्रक्रिया होगी। व्यापक प्रचार के दृष्टिगत समय-समय पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन दिए जा सकते हैं। निदेशक स्क्रूटिनी के लिए शैक्षणिक चयन समिति को आवेदकों की एक सूक्ष्म सूची प्रदान करेगा। उन्हें सूक्ष्म सूची में अंकित उम्मीदवारों के शोध कार्य के बारे में विविध विशेषज्ञ राय प्राप्त करनी होगी, जिसमें कार्य संबन्धित कम से कम तीन लिखित मूल्यांकन सम्मिलित होने चाहिए। 2॰ जब भी संभव हो उम्मीदवार को संस्थान में शिक्षाविदों के साथ विचार-विमर्श हेतु एक छोटी अवधि के लिए संस्थान का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और संस्थान के संकाय से एक प्रतिक्रिया/प्रतिपुष्टी प्राप्त की जा सकती है। यह सारी जानकारी निदेशक द्वारा अकादमिक चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी। समिति उचित स्तर पर फैकल्टी के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैठक या सर्कुलेशन द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद उपयुक्त संस्तुति करेगी। 3. रीडर पद के स्तर से नीचे की नियुक्तियों के लिए, निदेशक को इस संस्तुति पर कार्रवाई करने का अधिकार है। रीडर और उससे ऊपर के पदों की नियुक्ति शासी परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद की जानी है। 4. आंतरिक उम्मीदवारों की पदोन्नति उसी समिति की शासी परिषद को की जाने वाली संस्तुतियों पर आधारित होगी। उम्मीदवारों के शोध कार्यों के बारे में विशेषज्ञों की राय मांगी जाएगी और उन्हें अकादमिक चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने` पर विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है। अकादमिक चयन समिति की सलाह पर निदेशक द्वारा संकाय सदस्यों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 5. रीडर/फेलो के स्तर पर प्रथम नियुक्ति सामान्यता पांच साल के लिए संविदात्मक नियुक्ति होगी। नियुक्ति जारी रखने का निर्णय चौथे वर्ष या एक वर्ष पहले किया जाएगा। यह 1995 के संकल्प संख्या 3 दिनांक 18.2.1995 को प्रतिस्थापित करता है। 6. उच्च स्तर (एसोसिएट प्रोफेसर और उससे ऊपर) पर नियुक्तियों को सामान्य तौर पर निरंतर नियुक्ति के रूप में माना जाएगा। निरंतर नियुक्तियों पर सभी पद, जहां भी लागू हो, एक वर्ष की

		परिवीक्षा अवधि के अधीन होंगे। निरंतर नियुक्ति वाले व्यक्ति के लिए, चौथे वर्ष के अंत में या अकादमिक चयन समिति द्वारा तय की गई किसी भी पूर्व तिथि पर समीक्षा की जा सकती है। हालांकि, असाधारण प्रदर्शन के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी भी समय पदोन्नत किया जा सकता है। 7. अकादमिक चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भी उच्च स्तर (एसोसिएट प्रोफेसर और उससे ऊपर) पर नियुक्ति आमंत्रण द्वारा की जा सकती। 8. भौतिकी, गणित आदि से संबंधित विभागों के स्थायी सदस्यों से ही संस्थान का संकाय बनता है। 9. नए संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्राथमिक जांच संबंधित संकाय निकाय द्वारा की जाएगी तथा उसकी संस्तुति निदेशक को प्रेषित की जाएगी। 10. निदेशक संकाय/फैकल्टी नियुक्तियों और मौजूदा सदस्यों की पदोन्नति के संबंध में इनपुट निर्णय हेतु अकादमिक चयन समिति के समक्ष रखेंगे। अकादमिक चयन समिति की सिफारिशों को शासी सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। 11. **अकादमिक चयन समिति की संरचना**: अकादमिक चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा;- (क) परिषद के अकादमिक / वैज्ञानिक सदस्य। (ख) "आई" स्तर एवं उससे ऊपर के अधिवर्षिता की आयु से कम के समस्त संकाय सदस्य। (ग) अधिवर्षिता की आयु से कम के प्रत्येक संकाय का एक सदस्य जो कि "एच" स्तर का हो, शासी परिषद के निमंत्रण से होगा।